सत्यमेव जयते

वार्षिक लेखा
2016-17

वृहतर हित हेतु
उचित प्रतिस्पर्धा

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

वृहतर हित हेतु
उचित प्रतिस्पर्धा

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

वार्षिक लेखा
2016-17

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18 20, कस्तूरबा गांधी मार्ग,

नई दिल्ली 110 001, भारत

फोन : +91 11 23473400, फैक्स : +91 11 23704686

वेबसाईट : www.cci.gov.in

''प्रस्तुत वार्षिक–लेखा और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक–लेखा और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक–लेखा और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मान्य होगा।''

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

(1)	प्रस्तावना	5
(2)	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट	6
(3)	पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध	8
(4)	तुलन पत्र	9
(5)	आय एवं व्यय लेखा	10
(6)	भुगतान एवं प्राप्ति लेखा	11
(7)	तुलन पत्र की अनुसूचियां	12
(8)	आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियां	20
(9)	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26
(10)	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियाँ	28
(11)	लेखा–परीक्षा अभिमतों का अनुपालन	31

प्रस्तावना

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 12) अक्तूबर, 2003 में अस्तित्व में आया था और इसे प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 51 के अनुसार 1 मई, 2009 को ''प्रतिस्पर्धा निधि'' नामक एक निधि का गठन किया गया है। इससे पूर्व आयोग के व्ययों का वित्त पोषण नियमित बजट प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा था और 14 अक्तूबर, 2003 से 30 अप्रैल, 2009 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से भारत की समेकित निधि से बिल आहरित किए जा रहे थे। 1 मई, 2009 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है जिसे ''प्रतिस्पर्धा निधि'' में जमा करवा दिया जाता है। निधि का उपयोग वेतन एवं भत्तों, प्रशासनिक व्ययों और आयोग के उन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अन्य कार्यालयीन व्ययों के लिए किया जाता है जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत निधि का गठन किया गया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27 मार्च, 2009 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 204(अ) के माध्यम से भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2009 बनाए थे।

आयोग के लेखा दिनांक 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विहित ''वित्तीय विवरण के प्रारूप'' में तैयार किए गए है। आयोग द्वारा तैयार वार्षिक लेखा का लेखापरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने इसके साथ संलग्न भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के आय तथा व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2), जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 52(2) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखांकन व्यवहारों से पुष्टि, लेखांकन मानक तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के लेखांकन व्यवहार के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। वित्तीय कारोबार संबंधी विधि, नियम तथा विनियमनों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता–सह–कार्य–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा अभिमत, यदि कोई हों, तो उन्हें जाँच रिपोर्टो/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से पृथक तौर पर सूचित किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की एक परीक्षण आधार पर जाँच शामिल होती है। एक लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम यह मानते हैं कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्क–संगत आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते है कि :

   i) हमने वे सभी सूचनाएँ व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी श्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   ii) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन–पत्र और आय तथा व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2009 के नियम 3 तथा 5 के अंतर्गत विहित प्रारूप में बनाए गए हैं।

   iii) हमारे मतानुसार, लेखा बहियों तथा अन्य संगत रिकार्डो की जाँच करने पर यह प्रतीत होता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इन्हें उचित रूप से अनुरक्षित किया गया हैं।

   iv) हम आगे सूचित करते है कि :

क) **महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 22)**

नीति सं. 5 सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2009 के नियम 3 के अनुसार परियोजनाओं के स्थापन के लिए पूंजीगत लागत के प्रति योगदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता को पूंजीगत आरक्षित माना जाता है। नियम 3 में आगे यह प्रावधान है कि प्राप्त की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में से कमी के रूप में दर्शाया जाता है। तथापि, सीसीआई की लेखांकन नीति संख्या 5 ने लेखांकन नीतियों को भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार नहीं बताया। इस मुद्दे को वर्ष 2015–16 के दौरान भी उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख) **सहायता अनुदान**

वर्ष 2016–17 के दौरान सीसीआई को कारपोरेट कार्य मंत्रालय से 92.10 करोड़ रुपये का कुल अनुदान प्राप्त हुआ था जिसमें से इसने वर्ष 2016–17 के दौरान 89.25 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 2.85 करोड़ रुपये का व्यय न किया गया शेष बचा है।

ग) **प्रबंधन पत्र**

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल न की गई कमियों को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पृथक रूप से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सीसीआई के अध्यक्ष की जानकारी में लाया गया है।

v) पिछले पैराग्राफों में हमारे अभिमतों के अधीन, हम सूचित करते है कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और आय तथा व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

vi) हमारे मत एवं हमें दी गई श्रेष्ठ सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, तत्संबंधी लेखांकन नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले के अधीन भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते है :

क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2017 के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थिति की; और

ख) आय तथा व्यय लेखा के मामले में यह उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आधिक्य की।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./–

(नीलेश कुमार साह)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं

पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 07 सितम्बर, 2017

वर्ष 2016–17 हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2016–17 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा अखिल भारतीय लेखापरीक्षक एवं लेखाकार परिषद, डीजीसीआर भवन, नई दिल्ली द्वारा की गई थी। सीसीआई का स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

सीसीआई में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है अतः लेखापरीक्षा में भौतिक सत्यापन प्रणाली की प्रमाणिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

4. माल–सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

31 मार्च, 2017 के अनुसार सीसीआई की बहियों में कोई मालसूची नहीं है।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

वित्तीय विवरण के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को सांविधिक देयों के संबंध में कोई भुगतान बकाया नहीं है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि	1	84,54,01,262	54,69,00,197
कार्यालय स्थल को प्राप्त करने के लिए सहायता–अनुदान		1,56,36,00,000	1,29,26,00,000
प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/स्थाई निधि	3	-	-
रक्षित कर्ज और उधार	4	-	-
अरक्षित कर्ज और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	9,81,94,109	9,30,51,596
जोड		**2,50,71,95,371**	**1,93,25,51,793**
परिसंपत्तियां	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
स्थायी परिसंपत्तियां	8	1,59,58,71,746	1,31,87,40,167
निवेश– सीसीआई की निर्धारित/स्थाई निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	11	91,13,23,625	61,38,11,626
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाले गए या समायोजित न की गई की सीमा तक)		-	-
जोड		**2,50,71,95,371**	**1,93,25,51,793**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	23		

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	हस्ता/–
सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
सदस्य	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 मई, 2017

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुदान/आर्थिक सहायता	12	65,00,00,000	50,99,00,000
शुल्क/अभिदान	13	20,46,34,165	23,05,45,136
निवेश से आय (निर्धारित/स्थाई निधियों के निवेश से निधियों में अंतरित की गई आय)	14	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	15	-	-
अर्जित ब्याज	16	5,82,17,104	4,27,56,416
अन्य आय	17	93,546	1,62,974
जोड (क)		**91,29,44,815**	**78,33,64,526**
व्यय	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
स्थापना व्यय	18	23,03,95,073	22,08,29,300
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	38,40,48,677	34,80,56,517
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	20	-	-
ब्याज	21	-	-
जोड (ख)		**61,44,43,750**	**56,88,85,817**
व्यय पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		29,85,01,065	21,44,78,709
विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण		-	-
सामान्य प्रारक्षित को/से अंतरण		-	-
कोर्पस/पूंजीगत निधि में लिए गए अधिशेष (घाटे) का शेष है		**29,85,01,065**	**21,44,78,709**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22	-	-
आकस्मिक देयताएं और लेखे पर टिप्पणियां	23	-	-

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	हस्ता/–
सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
सदस्य	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 मई, 2017

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. प्रारंभिक शेष				**I. व्यय**			
(क) हाथ में नकदी				(क) स्थापना व्यय			
(ख) बैंक बैलेंस				(अनुसूची 18 के अनुसार)	22 68 24 586		
(i) चालू खाते में				(ख) प्रशासनिक व्यय			
– पंजाब नेशनल बैंक	52 47 701			(अनुसूची–19 के अनुसार)	37 33 61 699	60 01 86 285	52 89 61 640
– कारपोरेशन बैंक	2 06 93 707			**II. विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के प्रति किया गया भुगतान**		-	-
(ii) जमा खाते में				**III. किए गए निवेश और जमा**			
– सावधि जमा	57 01 85 579			(क) निर्धारित/स्थाई निधियों में से	-		
(iii) बचत खातों में	-	59 61 26 987	37 01 02 789	(ख) स्वयं की निधियों में से (अन्य निवेश)	-	-	-
II. प्राप्त अनुदान				**IV. स्थायी परिसपत्तियों और जारी पूंजीगत कार्य पर व्यय**			
(क) भारत सरकार से	92 10 00 000			(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	1 07 38 298		
(ख) राज्य सरकार से	-			(ख) जारी पूंजीगत कार्य पर व्यय	27 63 41 206	28 70 79 504	1 31 04 87 618
(ग) अन्य स्रोतों से	-	92 10 00 000	1 80 25 00 000				
III. निम्न से निवेश पर आय				**V. अधिशेष राशि/ऋणों को लौटाना**			
(क) निर्धारित/स्थाई निधियों से	-			(क) भारत सरकार को	-		
(ख) स्वयं की निधियों से (अन्य निवेश)	-	-	-	(ख) राज्य सरकार को	-		
IV. प्राप्त बयाज				(ग) निधि प्रदान करने वाले अन्य स्त्रोत	-	-	-
(क) बैंक जमा पर	4 70 27 365			**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**		-	-
(ख) ऋण, अग्रिम आदि पर	2 075	4 70 29 440	3 20 20 595	**VII. अन्य भुगतान**			
V. अन्य आय				जीआईएस	2 000		
(क) प्राप्त शुल्क	20 46 34 165			अदा किया गया प्रारंभिक टीडीएस	-		
(ख) रद्दी/परिसंपत्तियों की बिक्री	66 191			वापिस किया गया प्रतिभूति जमा	64 234	66 234	1 28 489
(ग) अन्य प्राप्तियां	33 145	20 47 33 501	23 07 23 477	**VIII. अंत शेष**			
				(क) हाथ में नकदी	-		
VI. उधार की राशि		-	-	(ख) बैंक बैलेंस			
				(i) चालू खातों में			
VII. अन्य कोई प्राप्तियां				– पंजाब नेशनल बैंक	45 20 089		
टीडीएस वसूली (देय)	-			– कारपोरेशन बैंक	3 06 22 880		
नई पेंशन योजना/जीआईएस	-			(ii) जमा खाते में			
धरोहर जमा/सुरक्षा जमा	8 000	8 000	3 57 873	– सावधि जमा	84 64 22 936		
				(iii) बचत खातों में	-	88 15 65 905	59 61 26 987
जोड़		**1,76,88,97,928**	**2,43,57,04,734**	**जोड़**		**1,76,88,97,928**	**2,43,57,04,734**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

स्थान : नई दिल्ली	हस्ता/–	हस्ता/–
दिनांक : 01 मई, 2017	सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
	सदस्य	अध्यक्ष

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन–पत्र का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची - 1
निधि

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष निधि	54,69,00,197	33,24,21,488
जोड़े : निधि के प्रति योगदान	-	-
जोड़े / (घटाएं) – आय एवं व्यय लेखे से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	29,85,01,065	21,44,78,709
वर्ष के अंत में शेष	**84,54,01,262**	**54,69,00,197**

अनुसूची - 2
प्रारक्षित एवं अधिशेष

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रारक्षित पूंजी		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी	-	-
घटाएं– वर्ष के दौरान कटौतीयाँ	-	-
2. प्रारक्षित निधि का पुनर्मूल्यन		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी	-	-
घटाएं– वर्ष के दौरान कटौतीयाँ	-	-
3. प्रारक्षित विशेष निधि		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी	-	-
घटाएं – वर्ष के दौरान कटौतीयाँ	-	-
4. प्रारक्षित सामान्य निधि		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी	-	-
घटाएं – वर्ष के दौरान कटौतीयाँ	-	-
जोड़	**-**	**-**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता / –	हस्ता / –
सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची - 3
निर्धारित/स्थाई निधि

(राशि रूपए में)

	निधि–वार ब्यौरा				जोड़	
	निधि डब्ल्यूडब्ल्यू	निधि एक्सएक्स	निधि वाईवाई	निधि जेडजेड	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) निधियों का आदि शेष	-	-	-	-	-	-
(ख) निधियों में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
(1) दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
(2) निधियों के किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
(3) अन्य वृद्धि	-	-	-	-	-	-
जोड़ (क + ख)	-	-	-	-	-	-
(ग) उद्देश्य के प्रति उपयोग/व्यय	-	-	-	-	-	-
(1) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
– स्थायी परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(2) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
– वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
जोड़ (ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता/–
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 4
रक्षित कर्ज और उधार

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
(क) सावधि ऋण	-	-
(ख) उपचित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक	-	-
(क) सावधि ऋण	-	-
– उपचित और देय ब्याज	-	-
(ख) अन्य ऋण	-	-
– उपचित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसिया	-	-
6. ऋण–पत्र एवं बाण्ड	-	-
7. अन्य	-	-
जोड़	-	-
टिप्पणी – एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	हस्ता/–
सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची - 5
अरक्षित कर्ज और उधार

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. ऋण–पत्र एवं बाण्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
जोड़	-	-
टिप्पणी – एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

अनुसूची - 6
आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां	-	-
2. अन्य	-	-
जोड़	-	-
टिप्पणी – एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता/–
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 7
चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
(क) चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) वस्तुओं हेतु	-		-	
(ख) अन्य	90,066	90,066	2,48,642	2,48,642
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. निम्न पर प्रोदभूत किंतु देय न होने वाला ब्याज				
(क) रक्षित कर्ज/उधार	-		-	
(ख) अरक्षित कर्ज/उधार	-	-	-	-
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिदेय	-		-	
(ख) अन्य	-	-	-	-
6. अन्य चालू देयताएं		18,13,101		17,85,746
जोड़ (क)		**19,03,167**		**20,34,388**
(ख) प्रावधान				
1. कराधान हेतु		-		-
2. उपदान		1,45,23,100		1,18,09,240
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण		3,75,32,063		3,78,70,027
5. व्यापार वारंटी/दावें		-		-
6. अन्यः				
– विद्युत बिल हेतु	39,52,830		65,71,401	
– वेतन हेतु	1,77,00,000		1,60,00,000	
– आउटसोर्स स्टाफ हेतु	51,85,000		71,35,000	
– व्यावसायिक सेवाओं हेतु	94,79,000		53,86,000	
– कार्यालय व्यय हेतु	79,18,949	4,42,35,779	62,45,540	4,13,37,941
जोड़ (ख)		9,62,90,942		9,10,17,208
जोड़ (क + ख)		9,81,94,109		9,30,51,596

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता/–
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 8
स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के प्रारंभ में मूल्य	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	वर्ष के अंत में मूल्य	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	वर्ष के अंत तक जोड़	चालू वर्ष के अंत में	पूर्व वर्ष के अंत में
(क) स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
(क) फ्रीहोल्ड	-									
(ख) पट्टे वाली	-									
2. भवन										
(क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-									
(ख) पट्टे वाली भूमि पर	-									
(ग) स्वामित्व वाले फ्लैट / परिसर	-									
(घ) निकाय का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सुपर ढांचा	-									
3. संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर	-									
4. वाहन	21,26,475	-	-	21,26,475	13,30,889	1,19,338	-	14,50,227	6,76,248	7,95,586
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,14,92,548	10,19,763	-	1,25,12,311	35,90,655	8,79,602	-	44,70,257	80,42,054	79,01,893
6. कार्यालय उपस्कर	1,11,83,036	7,44,122	-	1,19,27,158	54,38,049	9,27,725	-	63,65,774	55,61,384	57,44,987
7. कम्प्यूटर / पेरीफेरल्स	2,99,93,460	1,10,84,070	-	4,10,77,530	2,35,71,315	72,81,981	-	3,08,53,296	1,02,24,234	64,22,145
8. विद्युत अधिष्ठापन	24,68,559	-	21,250	24,47,309	16,48,864	1,22,954	15,460	17,56,358	6,90,951	8,19,695
9. पुस्तकालय पुस्तकें	1,79,06,591	3,43,605	2,01,731	1,80,48,465	1,72,06,780	5,70,263	1,61,459	1,76,15,584	4,32,881	6,99,811
10. ट्यूबवेल और जलापूर्ति	-									
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-									
चालू वर्ष का जोड़	**7,51,70,669**	**1,31,91,560**	**2,22,981**	**8,81,39,248**	**5,27,86,552**	**99,01,863**	**1,76,919**	**6,25,11,496**	**2,56,27,752**	**2,23,84,117**
चालू पूंजीगत कार्य	1,29,63,56,050	27,63,41,206	24,53,262	1,57,02,43,994	-	-	-	-	1,57,02,43,994	1,29,63,56,050
जोड़	**1,37,15,26,719**	**28,95,32,766**	**26,76,243**	**1,65,83,83,242**	**5,27,86,552**	**99,01,863**	**1,76,919**	**6,25,11,496**	**1,59,58,71,746**	**1,31,87,40,167**
पूर्व वर्ष	**6,13,98,360**	**1,31,04,87,618**	**3,59,259**	**1,37,15,26,719**	**4,39,01,608**	**91,57,356**	**2,72,412**	**5,27,86,552**	**1,31,87,40,167**	**1,74,96,752**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता / –
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता / –
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 9
निर्धारित/स्थाई निधियों से निवेश

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण–पत्र तथा बांड	-	-
5. अनुषंगियां एवं संयुक्त उपक्रम	-	-
6. अन्य	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची - 10
निवेश – अन्य

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण–पत्र तथा बांड	-	-
5. अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
जोड़	-	-

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता/–
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 11
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क) चालू परिसंपत्तियां				
1. विविध देनदार				
(क) 6 माह से अधिक के लिए बकाया ऋण	-		-	
(ख) अन्य	-	-	-	-
2. हस्तगत नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट तथा पेशगी सहित)		-		-
3. बैंक शेष				
अनुसूचित बैंकों के साथ –				
– चालू खाते में – पीएनबी	45,20,089		52,47,701	
– कारपोरेशन बैंक	3,06,22,880	3,51,42,969	2,06,93,707	2,59,41,408
– जमा खाते में (सीमांत राशि सहित)				
सावधि जमा – पीएनबी	12,75,00,000		-	
सावधि जमा – कारपोरेशन बैंक	63,47,39,292		40,51,85,579	
सावधि जमा – स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	8,41,83,644	84,64,22,936	16,50,00,000	57,01,85,579
– बचत खातों में		-		-
4. डाक घर – बचत खाते		-		-
जोड़ (क)		**88,15,65,905**		**59,61,26,987**
ख) ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. निम्न को ऋण –				
(क) स्टाफ	18,42,902		16,49,900	
(ख) समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में नियोजित अन्य निकाय	-		-	
(ग) अन्य	-	18,42,902	-	16,49,900
2. नकद अथवा वस्तु रूप में प्राप्त होने वाले अग्रिम तथा अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाला मूल्य				
(क) पूंजी लेखे पर	-		-	
(ख) पूर्व भुगतान	19,09,427		17,50,847	
(ग) अन्य – सुरक्षा जमा	2,70,000		2,70,000	
– अग्रिम (टीए/एलटीसी/विज्ञापन आदि)	13,28,927	35,08,354	7,95,092	28,15,939
3. प्रोदभूत आय				
(क) निर्धारित/स्थाई निधि पर निवेश से	-		-	
(ख) निवेश पर– अन्य	-		-	
(ग) ऋण तथा अग्रिम पर	-		-	
(घ) अन्य (प्रोदभूत ब्याज)	2,44,06,464	2,44,06,464	1,32,18,800	1,32,18,800
4. प्राप्य दावे		-		-
जोड़ (ख)		2,97,57,720		1,76,84,639
जोड़ (क+ख)		91,13,23,625		61,38,11,626

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	**हस्ता/–**
सुधीर मीतल	**देवेन्द्र क. सीक्री**
सदस्य	**अध्यक्ष**

अनुसूची - 12
अनुदान/आर्थिक सहायता
(प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान ओर आर्थिक सहायता)

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्र सरकार	65,00,00,000	50,99,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य	-	-
जोड़	**65,00,00,000**	**50,99,00,000**

अनुसूची - 13
शुल्क/अभिदान

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. फाइलिंग शुल्क	20,46,34,165	23,02,77,536
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्शी शुल्क	-	-
5. अन्यः		
(क) आवेदन शुल्क	-	2,67,600
जोड़	**20,46,34,165**	**23,05,45,136**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	हस्ता/–
सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची - 14
निवेश से आय

(निर्धारित/स्थाई निधि से निवेश पर आय को निधि में अंतरित किया गया है)

(राशि रूपए में)

	निर्धारित निधियों से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
1. ब्याज	-	-	-	-
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
(ख) अन्य बॉण्ड/ऋण–पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश	-	-	-	-
(क) शेयरों पर	-	-	-	-
(ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-
निर्धारित/स्थाई निधि में अंतरित	-	-	-	-

अनुसूची - 15
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. रायल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य	-	-
जोड़	-	-

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता/–
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 16
अर्जित ब्याज

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधि जमा पर : (एफडीआर)		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	5,68,13,994	4,08,72,443
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों/ऑटो स्वीप पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	14,01,035	18,74,486
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) डाक घर बचत खाता	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	2,075	9,487
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों तथा अन्य प्राप्त राशि पर ब्याज	-	-
जोड़	**5,82,17,104**	**4,27,56,416**

अनुसूची - 17
अन्य आय

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	9,210	23,687
ख) अनुदान से ली गई अथवा निशुल्कः प्राप्त परिसंपत्तियां	-	59,469
2. विविध सेवा हेतु शुल्क	-	-
3. विविध आय (अन्य प्राप्तियां)	84,336	79,818
जोड़	**93,546**	**1,62,974**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	हस्ता/–
सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची - 18
स्थापना व्यय

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. वेतन एवं मजदूरी	18,78,73,604	17,18,79,281
2. भत्ते तथा बोनस	69,52,308	49,35,247
3. भविष्य निधि / नई पेंशन योजना में योगदान	98,59,569	77,40,568
4. अन्य निधियों में योगदान	-	-
5. स्टाफ कल्याण व्यय	1,29,809	-
6. कर्मचारी सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभों पर व्यय		
क) एलएस एंड पीसी	1,67,94,974	76,84,500
ख) उपदान	27,13,860	22,73,216
ग) अवकाश नकदीकरण (देखें टिप्पणी – 11)	(1,96,446)	1,89,10,345
7. अन्य – चिकित्सा प्रतिपूर्ति	62,67,395	74,06,143
जोड़	**23,03,95,073**	**22,08,29,300**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता / –
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता / –
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 19
अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. क्रय	-	-
2. श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय	-	-
3. माल भाड़ा एवं ढुलाई	-	-
4. विद्युत, ऊर्जा एवं जल प्रभार	1,03,87,735	1,17,88,689
5. जल प्रभार	-	-
6. बीमा	-	-
7. मरम्मत एवं अनुरक्षण/एएमसी	43,63,498	65,87,733
8. भवन का किराया (कार्यालय परिसर)	18,51,07,427	17,79,00,337
9. किराया, दरें और कर	-	-
10. वाहन चालन, अनुरक्षण अथवा किराए पर लेने के प्रभार	1,07,20,129	1,17,57,674
11. डाक, टेलीफोन एवं संचार प्रभार	71,39,355	79,60,675
12. मुद्रण एवं स्टेशनरी	56,13,252	50,03,580
13. यात्रा एवं वाहन व्यय		
(क) विदेशी	97,78,423	64,09,693
(ख) देशीय	39,87,937	34,66,966
14. संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	52,48,664	34,90,613
15. सब्सक्रिपशन व्यय	-	-
16. शुल्कों पर व्यय	-	-
17. लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक शुल्क	4,08,826	2,03,100
18. आतिथ्य व्यय	18,53,124	20,63,139
19. व्यावसायिक प्रभार	6,73,48,655	4,48,77,250
20. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
21. बट्टे खाते में डाले गए वसूले न जाने वाले शेष	40,272	71,480
22. पैंकिग प्रभार	-	-
23. माल भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
24. वितरण व्यय	-	-
25. विज्ञापन एवं प्रचार	9,66,316	27,82,646
26. अन्य		
(क) सदस्यता शुल्क	26,85,484	4,00,000
(ख) बैंक प्रभार	-	2,023
(ग) अदा की गई इंटर्नशिप	8,70,000	7,20,000
(घ) मूल्यह्रास	99,01,863	91,57,356
(ङ) प्रकाशन	5,54,742	5,49,215
(च) सुरक्षा/अन्य सेवाओं की आउटसोर्सिंग	5,16,45,042	4,74,49,694
(छ) आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटर नेटवकिंग	6,16,148	3,84,349
(ज) पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र	34,66,498	37,92,091
(झ) विविध व्यय	13,45,287	12,38,214
जोड़	38,40,48,677	34,80,56,517

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	हस्ता/–
सुधीर मीतल	देवेन्द्र क. सीक्री
सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची - 20
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
2. संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-	-
जोड़	**-**	**-**

अनुसूची - 21
ब्याज

(राशि रूपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सावधि ऋणों पर	-	-
2. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
3. अन्य	-	-
जोड़	**-**	**-**

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–
सुधीर मीतल
सदस्य

हस्ता/–
देवेन्द्र क. सीक्री
अध्यक्ष

अनुसूची - 22
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन परिपाटी :**

1.1 वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखांकन की प्रोदभवन पद्धति पर तैयार किया जाता है, जब तक कि अन्यथा बताया न गया हो, जो आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है।

1.2 लेखा चालू कन्सर्न की अवधारणा पर तैयार किए गए है।

2. **निवेश :**

2.1 सभी निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3. **स्थायी परिसंपत्ति :**

3.1 अचल परिसंपत्तियों को लाने के भाड़े, शुल्क तथा कर और प्रासंगिक तथा प्रत्यक्ष व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है।

3.2 वर्ष 2003 से मार्च, 2009 तक की अवधि हेतु सीसीआई को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गैर–मौद्रिक अनुदानों के रूप में जारी अनुदान में से सृजित अचल परिसंपत्तियों 1 अप्रैल, 2009 को पश्च लेखित मूल्य पर पूजीकृत किया गया है, जिसके लिए पूंजी निधि को तदनुरूपी क्रेडिट किया गया है।

4. **मूल्यह्रास :**

4.1 मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार पश्च लेखन पद्धति पर मुहैया करवाया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसपंत्तियों में वृद्धि के मामले में मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लिया जाता है।

4.3 5000/–रूपए से कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों का उसी वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, सिवाय पुस्ताकालय की पुस्तकों के।

5. **सरकारी अनुदान :**

5.1 सरकारी अनुदान को वसूल होने पर लेखांकित किया जाता है और उपयोग को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया जाता हैं।

5.2 अप्रयुक्त अनुदान, जिसमें ऐसे अनुदान में से अदा किए गए अग्रिम शामिल है, को निधि को अंतरित किया जाता है।

5.3 कार्यालय स्थल की खरीद हेतु प्राप्त अनुदान को तुलन–पत्र में पृथक रूप से दर्शाया जाता है।

6. सेवानिवृत्ति लाभ :

6.1 सीसीआई ने अपने सीधे नियुक्त/समाहित किए गए कर्मचारियों हेतु नई पेंशन योजना (एनपीएस) अपनाई है।

6.2 मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान के संबंध में प्रावधान एएस 15 (संशोधित) के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

6.3 सीसीआई में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में, उनके लिए बाहरी सेवा से संबधित सरकारी आदेशों के अनुसार सीसीआई की देयता का निर्वाहन संबधित मूल कार्यालयों को साथ ही साथ सीसीआई द्वारा अदा किए जा रहे अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान अथवा भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान के रूप में किया जा रहा है।

6.4 नियमित कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ हेतु प्रावधान एएस 15 (संशोधित) के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता/–	**हस्ता/–**
सुधीर मीतल	**देवेन्द्र क. सीक्री**
सदस्य	**अध्यक्ष**

अनुसूची - 23
आकस्मिक देयताएं तथा लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं :

1.1 सीसीआई के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है :

1.1.1 निम्नलिखित के संबंध में –

– सीसीआई द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटी – कोई नहीं

– सीसीआई की ओर से बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट – कोई नहीं

– बैंकों के साथ डिस्काउंट किए गए बिल – कोई नहीं

1.2 कोई विवादित मांगे नहीं है।

1.3 आर्डर पूरा न करने हेतु पार्टियों के दावे, परंतु जिनका सीसीआई द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है– कोई नहीं

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं :

पूंजीगत लेखा पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य परंतु जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) :

2.1 नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) ने ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में अपनी परियोजना में सीसीआई को 97545 वर्ग फुट के कार्यस्थल को आवंटित किया है। अनुमानित लागत 327 करोड़ रूपए होती है और इसमें से 129.25 करोड़ रूपए वर्ष 2015–16 के दौरान एनबीसीसी को अदा किए जा चुके है और 27.63 करोड़ रूपए वर्ष 2016–17 में अदा किए गए। 170.12 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान एनबीसीसी को मांग किए जाने तथा मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुदान जारी किए जाने पर किया जाएगा।

2.2 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र कारपोरेशन (एनआईसीएसआई) को 35.07 लाख रूपए की लागत पर सीसीआई हेतु ई–फाइलिंग मॉड्यूल के साथ वेबपोर्टल के विकास का कार्य सौंपा गया है। इसमें से 14.03 लाख रूपए की राशि को 2015–16 में एनआईसीएसआई को अदा की जा चुकी है। 21.04 लाख रूपए की शेष राशि को परियोजना की पूर्णता पर अदा किया जाएगा।

3. चालू पूंजीगत कार्य

3.1 **भवन :** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में मैसर्स नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को उनकी परियोजना में सीसीआई हेतु कार्यालय स्थान के लिए भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 के दौरान सहायता–अनुदान के रूप में 129.25 करोड़ रूपए की राशि जारी

की थी। इस राशि का भुगतान वर्ष 2015–16 में एनबीसीसी को किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 में एनबीसीसी को भुगतान के लिए सहायता–अनुदान के रूप में मंत्रालय द्वारा 27.10 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। एनबीसीसी की मांग के आधार पर वर्ष 2016–17 में 27.63 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, एनबीसीसी को किया गया जोड़ भुगतान 156.88 करोड़ रूपए होता है जिसे चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

3.2 सीसीआई हेतु ई–फाइलिंग माड्यूल के साथ वेबपोर्टल के विकास के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान एनआईसीएसआई को 14.03 लाख रूपए का भुगतान किया गया था। एनआईसीएसआई को अदा की गई राशि चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4. चालू परिसंपत्तियां :

आयोग के मतानुसार व्यापार के सामान्य चालन के दौरान वसूली पर चालू परिसंपत्तियों का मूल्य तुलन–पत्र में दर्शाई गई संचित राशि के समान होता है।

5. कराधान :

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं.एस.ओ.530(ई) के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (46) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 तक आयकर के भुगतान से छूट प्रदान की हैं।

6. परिसंपत्तियों के निपटान पर हानि

निपटान/पश्च लेखन की गई परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

विवरण	प्रारंभिक/ क्रय मूल्य	31.3.2017 तक मूल्यह्रास	डब्ल्यूडीवी	वसूल की गई राशि	लाभ/ (हानि)
विद्युत अधिष्ठापन	21,250	15,460	5,790	15,000	9,210
पुस्तकालय की पुस्तकें	2,01,731	1,61,459	40,272	-	(40,272)
जोड़	**2,22,981**	**1,76,919**	**46,062**	**15,000**	**(31,062)**

7. खराब/रद्दी परिसंपत्तियों के निपटान के समय वर्ष 2016–17 के दौरान 66,191/–रूपए की राशि वसूल की गई थी।

8. वर्ष 2015–16 के दौरान, ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर के विकास हेतु एनआईसीएसआई को 24.53 लाख की राशि अदा की गई और उसे चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है। वर्ष 2016–17 में, परियोजना पूर्ण हो

गई थी और 36.80 लाख रूपए की शेष राशि एनआईसीएसआई को अदा की गई थी। साफ्टवेयर विकास की जोड़ लागत 61.33 लाख रूपए है। चूंकि परियोजना पूर्ण हो चुकी है, वर्ष 2016–17 के दौरान अदा की गई राशि और इस संबंध में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखी गई राशि को कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों में लिया गया है।

9. कार्यालय स्थान को लेने के लिए एनबीसीसी को भुगतान हेतु मंत्रालय द्वारा जारी सहायता–अनुदान को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2015–16 में की गई टिप्पणी के आधार पर कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता–अनुदान शीर्ष के अंतर्गत तुलन–पत्र में पृथक रूप से दर्शाया गया है। मंत्रालय ने कार्यालय स्थान हेतु सहायता–अनुदान (पूंजीगत) के तौर पर वर्ष 2015–16 में 129.26 करोड़ रूपए और 2016–17 में 27.10 करोड़ रूपए की राशि जारी की है। इस प्रकार, इस प्रयोजन हेतु प्राप्त जोड़ अनुदान 156.36 करोड़ रूपए होता है।

10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई),संसद के अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 12), प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित एक कारपोरेट निकाय है। अधिनियम की धारा 51(1) के अनुसार "प्रतिस्पर्धा निधि" बनाई गई है और आयोग द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदानों, अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शुल्क तथा उस पर अर्जित ब्याज को निधि में डाला जाता है।

11. बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपदान और अवकाश नकदीकरण हेतु देयता को वर्ष 2016–17 हेतु मुहैया करवाया गया है। मूल्यांकन के अनुसार उपदान हेतु 27,13,860 / – रूपए और अवकाश नकदीकरण हेतु 5,29,539 / – रूपए की देयता है। अर्धवेतन अवकाश के मामले में वर्ष 2015–16 तक सृजित देयता अधिक है और 8,67,503 / – रूपए की राशि को विद्यमान प्रावधानों में से वापिस किया गया है। अतः अवकाश नकदीकरण प्रावधानों में से निवल वापिसी 3,37,964 / – रूपए है। वर्ष 2016–17 के दौरान अवकाश नकदीकरण (अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन अवकाश) हेतु किए गए भुगतान (1,41,518 / –रूपए) को समायोजित करने के पश्चात 1,96,446 / – रूपए की निवल राशि को अवकाश नकदीकरण के प्रावधानों में से वापिस किया गया है तथा इसे अनुसूची 18 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

12. सीसीआई संस्थापना, सेवा मामलों तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में भारत सरकार के नियमों का पालन कर रहा है।

13. पिछले वर्ष हेतु तदनरूपी आंकड़ों को जहां–कहीं आवश्यक हो पुनःसमूहबद्ध / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

14. अनुसूची 1 से 23, 31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के साथ संलग्न की गई है और उसका अभिन्न भाग है।

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हस्ता / –	**हस्ता / –**
सुधीर मीतल	**देवेन्द्र क. सीक्री**
सदस्य	**अध्यक्ष**

लेखापरीक्षा अभिमतों का अनुपालन
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

लेखापरीक्षा अभिमत	लेखापरीक्षा अभिमत का उत्तर
क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 22) **नीति सं. 5 सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता** भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2009 के नियम 3 के अनुसार परियोजनाओं के स्थापन के लिए पूंजीगत लागत के प्रति योगदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता को पूंजीगत आरक्षित माना जाता है। नियम 3 में आगे यह प्रावधान है कि प्राप्त की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में अनुदान को संबंधित परिसंपत्तिों की लागत में से कमी के रूप में दर्शाया जाता है। तथापि, सीसीआई की लेखांकन नीति संख्या 5 ने लेखांकन नीतियों को भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार नहीं बताया। इस मुद्दे को वर्ष 2015–16 के दौरान भी उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	नोट कर लिया गया है।

वर्ष 2016–17 हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध का उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षा अभिमत	लेखापरीक्षा अभिमत का उत्तर
1.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2016–17 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा अखिल भारतीय लेखापरीक्षक एवं लेखाकार परिषद, डीजीसीआर भवन, नई दिल्ली द्वारा की गई थी। सीसीआई का स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता** सीसीआई में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	**स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है अतः लेखापरीक्षा में भौतिक सत्यापन प्रणाली की प्रमाणिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है।	नोट कर लिया गया है।
4.	**माल–सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** 31 मार्च, 2017 के अनुसार सीसीआई की बहियों में कोई मालसूची नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	**सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता** वित्तीय विवरण के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को सांविधिक देयों के संबंध में कोई भुगतान बकाया नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

वृहतर हित हेतु
उचित प्रतिस्पर्धा

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हिन्दुस्तान टाईम्स हाऊस, 18–20 कस्तूरबा गाँध मार्ग, नई दिल्ली–110 001, भारत
फोन नं. : +91-11-23473400 फैक्स : +91-11-23704686, वेबसाइट : www.cci.gov.in